मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल

::आदेश::

भोपाल, दिनांक 10/2/12

क्रमांक एफ 13–11/2011/20–1:: प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से उप संचालक, लोक शिक्षण के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 08.08.2011 को सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा अनुसार अनारक्षित प्रवर्ग में श्री आर.के. उपाध्याय, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, खण्डवा एवं श्री आर.एल.उपाध्याय, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, बुरहानपुर के विरूद्ध विभागीय जॉच संस्थित होने के कारण समिति की अनुशंसा बंद लिफाफे में रखी गई थी। आयुक्त, लोक शिक्षण के आदेश क्र. सर्त../बी/87/श्यो./2011/2222–23, दिनांक 3.11.2011 द्वारा श्री आर.के. उपाध्याय, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, खण्डवा एवं आदेश क्र. सर्त. /बी/88/श्यो./2011/2348–49, दिनांक 22.11.2011 द्वारा श्री आर.एल. उपाध्याय, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, बुरहानपुर के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच बिना कोई दण्ड अधिरोपित किये समाप्त की गई है। अतः इनकी बंद लिफाफे में रखी गई अनुशंसाओं को खोला जाकर इन्हें उप संचालक संवर्ग के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य पाया गया।

2/ अतः राज्य शासन एतद् द्वारा श्री आर.के.उपाध्याय, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, खण्डवा को जिला शिक्षा अधिकारी, खण्डवा एवं श्री आर.एल. उपाध्याय, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, बुरहानपुर को जिला शिक्षा अधिकारी, बुरहानपुर के पद पर पदोन्नत करते हुए वेतनमान 15600–39100+ग्रेड पे 6600 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई एवं स्थापन्न रूप से पदस्थ करता है।

3/ पदोन्नत व्यक्तियों की वरिष्ठता विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा अनुसार यथास्थान रहेगी।

4/ पदोन्नत व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से अपना पदभार ग्रहण करना होगा तथा किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकार्य नहीं होगा। पदोन्नत व्यक्तियों को नियमानुसार केवल पदग्रहण काल की पात्रता होगी।

4/ इस पदोन्नति में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/जन जातियों और पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 व म0प्र0 लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधो का पालन किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(बाबूलाल जैसवार)
अवर सचिव
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 13–11/2011/20–1

भोपाल,दिनांक 10/2/12

प्रतिलिपि:–

1. निज सचिव, मान.मंत्री/राज्यमंत्री, म.प्र.भोपाल
2. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग इन्दौर

3. आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल
4. महालेखाकार, म.प्र.ग्वालियर
5. संभागीय आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर म.प्र.
6. कलेक्टर, जिला–खण्डवा/बुरहानपुर, म.प्र.
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला–खण्डवा/बुरहानपुर, म.प्र.
8. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण इन्दौर, म.प्र.
9. जिला शिक्षा अधिकारी, –खण्डवा/बुरहानपुर, म.प्र.
10. जिला कोषालय अधिकारी, खण्डवा/बुरहानपुर, म.प्र.
11. संबंधित..

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12. आर्डर बुक

अवर सचिव
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

::राकेश मुले::